रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220670
CG-DL-E-24072020-220670

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

फा.सं. ए-105/ए.सी.आर./एन.सी.डी.आर.सी./2020.— राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ,उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 70 के साथ पठित धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला फोरम पर प्रशासनिक नियंत्रण), विनियम, 2018 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (**1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं—**इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-

(i) 'अधिनियम 'से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के ,जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है ,वही अर्थ होंगे जो उन्हें, यथास्थिति अधिनियम अथवा नियमों, में दिए गए हैं।

3. **कार्य का अनुपालन—**(1) राज्य आयोग और जिला आयोग प्रत्येक कार्य दिवस पर पर्याप्त मामलों को सूचीबद्ध करेंगे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया) विनियम, 2020 के विनियम 5 में यथाविहित सुनवाई के घंटों से पूर्व कार्य समाप्त न हो।

4. **राज्य आयोग का निरीक्षण**—(1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य प्रत्येक राज्य आयोग का निरीक्षण कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार करेगा और इस निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे, ऐसे निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, राज्य आयोग को ऐसे प्रशासनिक निदेश जारी कर सकेगा, जो उसे, राज्य आयोग का कार्यकरण बेहतर बनाने और इसकी अर्द्ध-न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हों।

(3) राज्य आयोग उप-विनियम (2) के अधीन जारी निदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा।

5. **जिला आयोग का निरीक्षण** — (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले जिला आयोग का निरीक्षण कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार करेगा और इस निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे, ऐसे निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर राज्य आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य आयोग का अध्यक्ष, जिला आयोग को ऐसे प्रशासनिक निदेश जारी कर सकेगा, जो उसे, जिला आयोग का कार्यकरण बेहतर बनाने और इसकी अर्द्ध-न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हों।

(3) जिला आयोग उप-विनियम (2) के अधीन जारी निदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेशों की एक प्रति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को भी प्रेषित की जाएगी।

6. **प्रशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सिफारिश—** (1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी ऐसी जांच, यदि कोई हो, के पश्चात्, जो वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य, के विरूद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश संबंधित राज्य सरकार से कर सकेगा।

(2) राज्य आयोग का अध्यक्ष, जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी ऐसी जांच, यदि कोई हो, के पश्चात्, जो वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य, के विरूद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश संबंधित राज्य सरकार से कर सकेगा तथा ऐसी सिफारिशों की एक प्रति राष्ट्रीय आयोग को प्रेषित करेगा।

7. **आदेश अपलोड करना —**राज्य आयोग और जिला आयोग उनके द्वारा सुनाए गए अंतिम आदेशों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर, ऐसे आदेशों के जारी होने के तीन दिनों के भीतर, अपलोड करेंगे।

8. **लंबित मामले अपलोड करना—**राज्य आयोग और जिला आयोग प्रत्येक मास की सात तारीख तक अपनी-अपनी वेबसाइट पर लंबित मामलों के, जिनमें बहस हो चुकी है परंतु आदेश, पैंतालीस दिन से अधिक हो जाने पर नहीं सुनाया गया हो, के विवरण अपलोड करेंगे।

एस. हनुमंथा राव, संयुक्त पंजीयक

[विज्ञापन III/4/असा./137/2020-21]

NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2020

F. No.A-105/ACR/NCDRC/2020.—In exercise of the powers conferred by section 103 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), read with section 70 and in supersession of the Consumer Protection (Administrative Control over the State Commission and the District Commission) Regulations, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Consumer Disputes Redressal Commission with the previous approval of the Central Government , hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Consumer Protection (Administrative Control over the State Commission and the District Commission) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(i) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(ii) words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or in the rules made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in the Act or in the rules, as the case may be.

3. **Observance of work.**—(1) The State Commission and the District Commission shall list sufficient matters on each working day as prescribed in regulation 5 of the Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020.

4. **Inspection of State Commission.**—(1) The President or a member of the National Commission duly authorised by him shall inspect each State Commission at least once in a calendar year and prepare a report of such inspection and submit the same to the National Commission within fifteen days of such inspection.

(2) On receipt of the inspection report, the President of the National Commission may issue such administrative directions to the State Commission, as may be deemed appropriate by him, to improve the functioning of the State Commission and to achieve the objects and purposes of the Act without interfering with its quasi-judicial freedom.

(3) The State Commission shall expeditiously comply with the directions issued under sub-regulation (2).

5. **Inspection of the District Commission.**—(1) The President or a member of the State Commission duly authorised by him shall inspect each District Commission under its administrative control at least once in a calendar year and prepare a report of such an inspection and submit the same to the State Commission within fifteen days of such inspection.

(2) On receipt of the inspection report, the President of the State Commission may issue such administrative direction to the District Commission, as may be deemed appropriate by him to improve the functioning of the District Commission and to achieve the objects and purposes of the Act without interfering with its quasi-judicial freedom.

(3) The District Commission shall expeditiously comply with the directions issued under sub-regulation (2).

(4) A copy of the directions issued by the President of the State Commission under sub-regulation (2) shall also be forwarded to the President of the National Commission.

6. **Recommendation to State Government for administrative action.**—(1) The President of the National Commission, may, on receipt of a complaint against the President or a member of a State Commission, after making such inquiry, if any, as he may deem appropriate, recommend to the concerned State Government for taking suitable administrative action against such President or member, as the case may be.

(2) The President of a State Commission, may, on receipt of a complaint against the President or a member of the District Commission, after making such inquiry, if any, as he may deem appropriate, recommend to the concerned State Government for taking suitable administrative action against such President or member, as the case may be, and a copy of such recommendation shall also be forwarded to the National Commission.

7. **Uploading of orders.**—The State Commission and the District Commission shall upload final orders pronounced by them, on their respective websites, within three days of the pronouncement of such order.

8. **Uploading of pending matters.**—The State Commission and the District Commission shall upload, on their respective websites by the 7th day of each month, the particulars of the pending matters, in which arguments have been heard, but the order has not been pronounced for more than forty-five days.

S. HANUMANTHA RAO, Jt. Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./137/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.07.24 20:29:36 +05'30'